न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 210/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 12.12.2022
GCMS NO. :-2022/210

1–गीता बाई पुत्री मका लाल पत्नि रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ मृत्तक के बजाएः–
1/1–सुरेश चन्द्र माता गीता बाई पिता रामेश्वरलाल जी तिवारी निवासी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
1/2–योगेश कुमार माता गीता बाई पिता रामेश्वरलाल तिवारी निवासी चंदनपुरा, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
1/3–प्रभावती माता गीता बाई पिता रामेश्वरलाल तिवारी पत्नि रामेश्वर लाल निवासी बागुण्ड़, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–रूकमणी बाई पुत्री मकालाल पत्नि ओमप्रकाश दाधीच जाति ब्राह्मण उम्र 75 वर्ष, निवासी देवमंगरी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट्स

बनाम

1–मृत्तक रमाकांत पिता रामेश्वरलाल ब्राह्मण के बजाएः–
1/1–हरिश पिता रमाकांत जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
1/2–मनीष पिता रमाकांत जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
1/3–नीतू पुत्री रमाकांत जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्र. सं. 210/2022 (रा. अ.)
गीता बाई पुत्री मकालाल पत्नि रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन मृत्तक के बजाएः– सुरेशचन्द्र माता गीता बाई पिता रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन वगैरा बनाम मृत्तक रमाकांत के बजाएः– हरिश पिता रमाकांत ब्राह्मण निवासी कपासन वगैरा

1/4–प्रेमलता पत्नि रमाकांत जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क, निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

2–भूमिधारी तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

3–अवधेश कुमार पिता मांगीलाल बारेगामा, उम्र 42 वर्ष, जाति ब्राह्मण निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

4–केशव सोमानी पिता देवेन्द्र सोमानी, जाति सोमानी, उम्र 21 वर्ष, निवासी रेल्वे स्टेशन कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

5–गणेश पिता मोड़ीराम जाति मारवाड़ा कुम्हार, उम्र 85 वर्ष, निवासी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

6–गणेश पिता गोपीलाल जाति कुम्हार, उम्र 55 वर्ष, निवासी कुम्हार मौहल्ला कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

7–गोवर्धनलाल पिता गोपीलाल जाति कुम्हार, उम्र 50 वर्ष, निवासी कुम्हार मौहल्ला कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

8–मूलचंद पिता लखमा जाति कुम्हार, उम्र 64 वर्ष, निवासी कुम्हार मौहल्ला कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरण संख्या 553 दिनांक 27.03.1967 द्वारा तहसीलदार, कपासन

उपस्थितिः– 1– श्री राकेश पुरी गोस्वामी, अधिवक्ता अपीलांट्स
2– श्री चन्दनमल जणवा, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1/1 से 1/4
3– श्री रमेश चन्द्र दशोरा, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 3 व 4
4– श्री राजकुमार लड्ढ़ा, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 5
5– श्री भैरूदास वैष्णव, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 6 से 8

प्र. सं. 210/2022 (रा. अ.)
गीता बाई पुत्री मकालाल पत्नि रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन मृत्तक के बजाएः– सुरेशचन्द्र माता गीता बाई पिता रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन वगैरा बनाम मृत्तक रमाकांत के बजाएः– हरिश पिता रमाकांत ब्राह्मण निवासी कपासन वगैरा

निर्णय

दिनांक 23.01.2025

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मकालाल पिता हरिराम ब्राह्मण निवासी कपासन के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में साबिक आराजीयात किता 08 रकबा 18 बीघा 07 बिस्वा दर्ज रेकार्ड रही है मकालाल के फोत होने के बाद दिनांक 27.03.1967 को विरासती नामान्तरण संख्या 553 उनकी पत्नि चांदी बाई के नाम खोला गया एवं चांदी बाई की मृत्यु के उपरांत अपीलांट संख्या 1 के पुत्र रमाकांत द्वारा वसीयत को आधार बनाते हुए चांदी बाई का विरासती नामान्तरण अपने नाम खुलवा लिया एवं उक्त साबिक आराजीयात को विक्रय कर दिया। मकालाल की मृत्यु के पश्चात् उनकी दोनों पुत्रियों अपीलांट्स के नाम विरासती नामान्तरण नहीं खोला गया एवं अकेले पत्नि चांदी बाई के नाम खोला गया जो विधि–विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरण संख्या 553 दिनांक 27.03.1967 निरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अपीलांट्स के नाम 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार नामान्तरण खोले जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनमल जणवा, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र दशोरा, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की

प्र. सं. 210/2022 (रा. अ.)
गीता बाई पुत्री मकालाल पत्नि रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन मृत्तक के बजाएः– सुरेशचन्द्र माता गीता बाई पिता रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन वगैरा बनाम मृत्तक रमाकांत के बजाएः– हरिश पिता रमाकांत ब्राह्मण निवासी कपासन वगैरा

ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार लड्ढ़ा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूदास वैष्णव ने अधिकार पत्र, जवाब एवं दस्तावेज पेश किए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्वयं भूमिधारी तहसीलदार है। अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तरण संबंधी पत्रावली तलब की गई जिस पर संबंधित नामान्तरण की मूल परत प्राप्त हुई। उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मकालाल पिता हरिराम ब्राह्मण के खातेदारी एवं कब्जे–काश्त में साबिक आराजीयात आराजी नम्बर 1997, 2035, 2118, 2559, 2584, 3150, 3605 किता 08 रकबा 18 बीघा 07 बिस्वा दर्ज रेकार्ड रही है मकालाल के फोत होने पर दिनांक 27.03.1967 को विरासती नामान्तरण संख्या 553 उनकी पत्नि चांदी बाई के नाम खोला गया तथा चांदी बाई की मृत्यु उपरांत अपीलांट संख्या 01 के पुत्र रमाकांत द्वारा वसीयत को आधार बनाते हुए चांदी बाई का विरासती नामान्तरण जरिये नामान्तरण संख्या 1503 दिनांक 30.12.1978 को अपने नाम खुलवा लिया एवं रमाकांत द्वारा नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर साबिक आराजी नम्बर 1997 एवं 2035 को विक्रय कर दिया एवं रमाकांत की मृत्यु होने पर विरासती नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 के नाम खोला गया एवं नवीन आराजी नम्बर 4694 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 ने नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय कर दिया। भू प्रबंध के पश्चात् नवीन आराजी नम्ब्र 5092, 5093, 5094, 5492, 5493, 4694, 4931, 5650 दर्ज किये गये। इस प्रकार मकालाल की मृत्यु होने पर उनकी दोनो पुत्रियों अपीलांट्स के नाम

प्र. सं. 210/2022 (रा. अ.)
गीता बाई पुत्री मकालाल पत्नि रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन मृत्तक के बजाएः– सुरेशचन्द्र माता गीता बाई पिता रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन वगैरा बनाम मृत्तक रमाकांत के बजाएः– हरिश पिता रमाकांत ब्राह्मण निवासी कपासन वगैरा

विरासती नामान्तरण नहीं खोला गया एवं अकेले पत्नि के नाम खोला गया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स स्व. मकालाल की पुत्रियां है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रियों का जन्म से ही अपने पिता की सम्पत्ति में हक व हिस्सा निहित है परन्तु अपीलांट्स को अपने हक व हिस्से से वंचित करने की नियत से जान बुझकर मकालाल का विरासती नामान्तरण अकेले चांदीबाई के नाम खोला गया जो निरस्त योग्य है। चांदी बाई की मृत्यु होने पर तत्कालीन पटवार हल्का कपासन द्वारा विरासती नामान्तरण दोनों पुत्रियों अपीलांट्स गीता बाई एवं रूकमण बाई के नाम खोले जाने हेतु भरकर पेश किया, परन्तु रमाकांत पिता रामेश्वरलाल ब्राह्मण के नाम वसीयत के आधार पर नामान्तरण खोला गया जबकि ऐसी कोई वसीयत अस्तित्व मे ही नहीं है और ना ही अपीलांट्स को इस नामान्तरण की जानकारी थी, तो सहमति का प्रश्न ही नहीं उठता। नामान्तरण संख्या 1503 से यह तथ्य पूर्णतया साबित है कि अपीलांट्स मकालाल की पुत्रियां है एवं सम्पूर्ण आराजीयात में 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है इस कारण नामान्तरण संख्या 553 निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरण संख्या 553 दिनांक 27.03.1967 निरस्त किया जाकर ग्राम कपासन की आराजी नम्बर 5092, 5093, 5094, 5492, 5493, 4694, 4931 एवं 5650 के राजस्व रेकार्ड अपीलांट्स के नाम 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार नामान्तरण खोले जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्र. सं. 210/2022 (रा. अ.)
गीता बाई पुत्री मकालाल पत्नि रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन मृत्तक के बजाएः– सुरेशचन्द्र माता गीता बाई पिता रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन वगैरा बनाम मृत्तक रमाकांत के बजाएः– हरिश पिता रमाकांत ब्राह्मण निवासी कपासन वगैरा

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 553 एवं 1503 की पूर्ण जानकारी अपीलांट्स को थी। अपीलांट्स ने ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन में उपस्थित होकर नामान्तरण रमाकांत के नाम पर स्वीकृत करने हेतु सहमति दिनांक 04.12.1978 को प्रदान की गई उसके बाद स्वयं तहसीलदार एवं अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण जांच–पड़ताल के बाद नामान्तरण स्वीकृत किया गया जो पूर्णतया विधि अनुसार होकर नामान्तरण स्वीकृत किए हुए 46 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है। उक्त नामान्तरण अपीलांट्स की सहमति एवं प्रारंभिक जानकारी से स्वीकृत हुआ है। ऐसी स्थिति में अपील मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। नामान्तरण संख्या 553 एवं 1503 विधिवत जांच के पश्चात् गुणावगुण पर वसीयत के आधार पर स्वीकृत हुआ है जिसकी सहमति स्वयं अपीलांट्स द्वारा देते हुए तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के मध्य बहामी फैसला होने का कथन करते हुए नामान्तरण रमाकांत पिता रामेश्वरलाल तिवाडी के नाम पर वसीयत के आधार पर स्वीकृत करने में सहमति प्रदान की है जिससे अपीलांट्स विबंधन के सिद्धान्त (प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल) से बाधित होने के कारण अपीलांट्स की अपील इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य होने से अपील निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का मुख्य कथन यह रहा कि तहसीलदार कपासन द्वारा नामान्तरण संख्या 553 दिनांक 27.03.1967 खोला गया वह पूर्ण जांचकर खोला गया है उक्त नामान्तरण की जानकारी अपीलांट्स व उनके परिजनों को प्रारम्भ से ही थी। इसी अनुसार लम्बे अंतराल से खातेदारी

प्र. सं. 210/2022 (रा. अ.)
गीता बाई पुत्री मकालाल पत्नि रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन मृत्तक के बजाएः– सुरेशचन्द्र माता गीता बाई पिता रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन वगैरा बनाम मृत्तक रमाकांत के बजाएः– हरिश पिता रमाकांत ब्राह्मण निवासी कपासन वगैरा

चली आ रही थी। वर्ष 1967 के नामान्तरण की अपील मियाद बाहर है जो जानकारी में रहते हुए मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। मकालाल की आराजीयात पर अपीलांट्स का कभी कब्जा–काश्त नहीं रहा है अपीलांट्स पढी लिखी महिला है तथा राजस्व रेकार्ड में हर तरह से समझदार रही है नामान्तरण संख्या 553 एवं 1503 की जानकारी नामान्तरण खोले जाने की तिथि से ही अपीलांट को थी हर वर्ष भूमि का लगान जमा होता था और नामान्तरण खोलते हुए मृत्तक की खातेदारी जमीन पर जो काबिज था उसका नामान्तरण खोला गया है नामान्तरण प्रक्रिया एक Fiscal प्रक्रिया है जो मौके पर काबिज है व काश्त कर रहा है उसी का नामान्तरण खोला जाता है ताकि लगान वसूल किया जा सके। अपीलांट्स को धारा 88, 188 के तहत वाद प्रस्तुत करने पर ही हक अधिकार तय किये जा सकते हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 8 का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलांट्स ने मन गढ़न्त तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है अपीलांट्स द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.12.1978 को रमाकांत के नाम पर नामान्तरण स्वीकृत करने की सहमति प्रदान की गई उसके बाद तहसीलदार ने जांच–पड़ताल कर यह नामान्तरण स्वीकृत किया जो पूर्णतया विधि अनुसार है। उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आराजीयात में से अपने हिस्से में से कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 8 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपुर्द किया जाकर उसका राजस्व रेकार्ड में अंकन हो चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 8 अपने क्रयशुदा हिस्से के सद्भाविक क्रेता होकर मौके पर काबिज चले आ रहे हैं। अपीलांट्स उक्त प्रकरण में स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं उन्होने

प्र. सं. 210/2022 (रा. अ.)
गीता बाई पुत्री मकालाल पत्नि रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन मृत्तक के बजाएः– सुरेशचन्द्र माता गीता बाई पिता रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन वगैरा बनाम मृत्तक रमाकांत के बजाएः– हरिश पिता रमाकांत ब्राह्मण निवासी कपासन वगैरा

वर्तमान जमाबन्दी की प्रति प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की एवं सभी सद्भावी क्रेतागणों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स द्वारा सन् 1967 में स्वीकृत नामान्तरण को वर्ष 2022 में चुनौति दी है जो 57 वर्ष बाद होकर मियाद बाहर है। उक्त नामान्तरण पश्चात् भूप्रबन्ध होकर विवादित आराजीयात के नवीन आराजी नम्बर पड चुके है तथा उक्त आराजीयात फर्दन–फर्दन हस्तान्तरण हो चुकी है नामातन्रण के आधार पर हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते। अतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। जिसके अनुसार विवादित नामान्तरण संख्या 553 दिनांक 27.03.1967 को स्वीकृत किया जबकि अपील दिनांक 08.12.2022 को प्रस्तुत की गई जो कि नामान्तरण स्वीकृत होने के लगभग 55 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत करना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार चांदीबाई पत्नि मकालाल तिवाडी ने दिनांक 11.09.1970 को मृत्तक रमाकांत के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया है तथा अपीलांट्स ने दिनांक 04.12.1978 को तहसीलदार कपासन के समक्ष अपीलांट्स तथा रेस्पोडेन्ट्स के मध्य बाहमी फैसला कुछ शंकित था उन शंकाओं के निवारण के पश्चात् रमाकांत के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना स्पष्ट प्रतिवेदित है अतः अपीलांट्स का कथन की नामान्तरण की जानकारी अपीलांट्स को नहीं थी मानने योग्य नहीं है।

प्र. सं. 210/2022 (रा. अ.)
गीता बाई पुत्री मकालाल पत्नि रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन मृत्तक के बजाएः– सुरेशचन्द्र माता गीता बाई पिता रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन वगैरा बनाम मृत्तक रमाकांत के बजाएः– हरिश पिता रमाकांत ब्राह्मण निवासी कपासन वगैरा

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जिसके अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का जन्म से अधिकार निहित है यह निर्विवादित सत्य है किन्तु नामान्तरण संख्या 553 दिनांक 27.03.1967 की अपील अन्दर मियाद 30 दिवस में प्रस्तुत करने पर उस पर विचार किया जा सकता था किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपील लगभग 55 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई है तथा उक्त नामान्तरण की जानकारी अपीलांट्स को प्रारम्भ से ही होना स्पष्ट प्रतिवेदित हो चुका है। चूंकि नामान्तरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त प्रकिया (Summery Proceeding) एवं सरसरी कार्यवाही (Fiscal Proceeding) है जिसके द्वारा किसी पक्षकार के स्वत्व सम्बन्धी विषय बिन्दु का निर्धारण नहीं किया जा सकता। स्वत्व का निर्धारण एवं विनिश्चयन नियमित घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर एवं तद्नुरूप विवाद्यक बिन्दु कायम किये जाकर साक्ष्य/शहादत द्वारा किया जाना विधि में प्रावधित है।

नामान्तरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121 के प्रावधान लागु होते है, उक्त नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामान्तरण से संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरण तस्दीक करना होता है हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार कपासन द्वारा उक्त नामान्तरण स्वीकृत करने में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

प्र. सं. 210/2022 (रा. अ.)
गीता बाई पुत्री मकालाल पत्नि रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन मृत्तक के बजाएः– सुरेशचन्द्र माता गीता बाई पिता रामेश्वरलाल तिवारी निवासी कपासन वगैरा बनाम मृत्तक रमाकांत के बजाएः– हरिश पिता रमाकांत ब्राह्मण निवासी कपासन वगैरा

उक्त नामान्तरण संख्या 553 दिनांक 27.03.1967 स्वीकृत हुए लगभग 57 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है तथा उक्त आराजीयात पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से फर्दन–फर्दन हस्तान्तरित भी की जा चुकी है तथा नामान्तरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त प्रक्रिया (Summery Proceeding) एवं सरसरी कार्यवाही (Fiscal Proceeding) है जिसके द्वारा किसी पक्षकार के स्वत्व सम्बन्धी विषय बिन्दु (हक–अधिकारों) का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलांट्स विवादित आराजीयात में यदि अपना स्वत्व या हक रखते हैं तो वे सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(प्रभा गौतम)